फारम सं0-563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

राजकुमार राम पिता बैजनाथ राम, निवास स्थान ग्राम-सिंघानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिंघानी, थाना नं0-153, खाता संख्या-59, प्लॉट संख्या-2135, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि अनिता देवी पति बिनोद पासवान, निवास स्थान ग्राम-सिंघानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22014262 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-34/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 132/रा0 दिनांक 08.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3171 दिनांक 02.09.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत बाढ़ो गोडाइत हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.81 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 4.81 एकड़ भूमि है। लगान रसीद वर्ष 2014-15 तक निर्गत् है। आवेदक खतियानी रैयत के पौत्र हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 4.76 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश... कार्रवाई... टिप्पणी ...
1	2	3
	2022-23 तक निर्गत् ऑनलाईन लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजकुमार राम पिता बैजनाथ राम, निवास स्थान ग्राम-सिंघानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिंघानी, थाना नं0-153, खाता संख्या-59, प्लॉट संख्या-2135, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि अनिता देवी पति बिनोद पासवान, निवास स्थान ग्राम-सिंघानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 4/07/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 4/07/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.06 11:24:49 +05:30
Location: 192.168.0.105